न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट–रीवा (म.प्र.)

पंकज पटेल तनय स्व. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, उम्र–35, पेशा–खेती, निवासी ग्राम–पुरवा–310, तहसील–मनगवाँ, जिला–रीवा (म.प्र.)

.....**पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

शासन मध्यप्रदेश .....**गैरपुनरीक्षणकर्ता**

पुनरीक्षण विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर रीवा द्वारा प्र.क्र. 33/अ–74/2016, आदेश दिनाँक–29.06.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैंः–

ग्राम–पुरवा–310, तहसील–मनगवाँ, जिला–रीवा (म.प्र.) अन्तर्गत स्थित भूमि सर्वे नं. 157 रकवा 0.15ए. (0.061हे.), पुनरीक्षणकर्ता की पैतृक भूमि है, **जिसके मध्य से सरकारी सड़क** निकाली गई है। उक्त **सड़क** निर्मित हो जानें से मौके पर पुन.कर्ता की भूमि **तीन भू–खण्डों में विभाजित** हो गई है। जिनमें से **पहला** भू–खण्ड **सड़क** के **उत्तर**–तरफ एवं **दूसरा भू–खण्ड मध्य** में (निर्मित सड़क) है तथा **तीसरा भू–खण्ड सड़क के दक्षिण**–तरफ है। जिससे उक्त भूमि के तीन बटा नम्बर होते हैं, किन्तु तहसीलदार नें भू–माफिया लोगों के दुरभिसंधि से उनको नजायज लाभ पहुँचानें के उद्देश्य से षड्यंत्र पूर्वक पुन.कर्ता के चोरी–छिपे खसरा व नक्शा में **केवल दो बटा** नम्बर दर्ज कराया है, जिनमें ख.नं.157/1 रकवा 0.12ए. (0.049हे.) पुन.कर्ता के नाम एवं ख.नं.157/2 रकवा 0.03ए. (0.012हे.) शासन म.प्र. के नाम है। उक्त बटा ख.नं.157/1 में सरकारी **सड़क** एवं उसके उत्तर तरफ वाला भू–खण्ड सम्मिलित है, जो पुन.कर्ता के नाम दर्ज है तथा **सड़क** के दक्षिण तरफ वाला भू–खण्ड ख.नं. 157/2 पुन.कर्ता के बजाय शासन म.प्र. के नाम दर्ज है, जबकी उक्त सड़क किसी भू–खण्ड में दर्ज नहीं है। जिससे उक्त भू–खण्डों का **नक्शा पूर्णतः गलत व त्रूटिपूर्ण है। उसी नक्शा में संशोधन/सुधार** बावत पुन.कर्ता नें अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष प्र.क्र. 07/अ–74/2016–17 प्रस्तुत कराया था, जिसमें राजस्व निरीक्षक नें अपनें प्रतिवेदन के साथ मौके की स्थिति मुताविक नजरी नक्शा संलग्न किया था। जिसकी अनदेखी करके अधीनस्थ न्यायालय नें अपनें **आदेश दिनांक–16.05.2017 से प्रकरण को निरस्त कर दिया था। जिससे** पुन.कर्ता नें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष **पुनराविलोकन बावत** आवेदन प्रस्तुत कराया था, जिसे उन्होनें प्र.क्र. 33/अ–74/मूल/2016–17 पर दर्ज कर, **आलोच्य आदेश दिनांक–29.06.2017 से निरस्त कर दिया है।** उसी से व्यथित होकर पुन.कर्ता द्वारा **माननीय के समक्ष यह** पुनरीक्षण **निम्नलिखित ठोस व विधिक तथ्यों** के आधार पर **प्रस्तुत** कराई जा रही है।

पंकज पटेल

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2965

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
13 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 33/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के मुताविक सरहदी प्लाट केताओं का रास्ता अवरूद्व हो जायेगा। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया था कि नक्शा सुधार करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नक्शा सुधार की मांग की गई थी लेकिन अपने विस्तृत आदेश में विवेचना करते हुये आदेश पारित करते हुये आवेदन पत्र अमान्य किया गया है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 33/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। सदस्य	